न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4963/2004/धौलपुर

1— रघुवर मृतक जरिए वारिसानः—
1/1. रामभरोसी पत्नी रघुवर
1/2. मंगल पुत्र रघुवर
समस्त जाति मीणा निवासी सुरारीकला तहसील व जिला धौलपुर।
1/3. जमना पुत्री रघुवर पत्नी लालपति
1/4. बर्फी पुत्री रघुवर पत्नी सिरमोर
दोनों निवासी छिंगापुरा तहसील समरपुरा जिला धौलपुर।

2— गंगाविशन मृतक जरिए वारिसानः—
2/1. भगवानलाल पुत्र गंगाविशन
2/2. रमेश चंद पुत्र गंगाविशन
दोनों जाति मीना निवासी सुरारीकलां तहसील समरपुरा जिला धौलपुर।

3— बालमुकुन्द पुत्र मिश्रीलाल

4— सुसीराम पुत्र मिश्रीलाल
दोनों जाति मीना निवासी सुरारीकलां तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।

5— जीवनलाल मृतक जरिए वारिसानः—
5/1. कमलाबाई पत्नी जीवनलाल
5/2. प्रेमशंकर पुत्र जीवनलाल
5/3. सालिगराम पुत्र जीवनलाल
5/4. फूलसिंह पुत्र जीवनलाल
समस्त जाति मीना निवासी सुरारीकलां तहसील व जिला धौलपुर।
5/5. राममूली पुत्री जीवनलाल पत्नी हठीराम
5/6. ममता पुत्री जीवनलाल पत्नी बनवारी
समस्त निवासी उमेहर तहसील बाड़ी जिला धौलपुर।

...अपीलान्टस

बनाम

1— पातीराम मृतक जरिए वारिसानः—
1/1. रूपबाई पत्नी पातीराम
1/2. केदार पुत्र पातीराम
1/3. कल्याण पुत्र पातीराम
1/4. राजेन्द्र पुत्र पातीराम
1/5. कमलेश पुत्री पातीराम
1/6. काशीबाई पुत्री पातीराम
1/7 लोहरी बाई पुत्री पातीराम
समस्त जाति मीना निवासी सुरारीकलां तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

2— राजस्थान सरकार।

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

श्री भंवर सिंह सांदू, सदस्य

उपस्थितः—
श्रीमति पूनम माथूर, अभिभाषक अपीलान्टस ।
श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स ।

निर्णय

दिनांकः— 29.01.2024

यह द्वितीय अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2004 जो कि न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या 103/04 में पारित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पो0/वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 विरूद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम सुरारीकलां में स्थित वादग्रस्त आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे विवादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे एवं ना ही किसी अन्य से करावें। अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किए जाने पर अपीलांट प्रतिवादीगण ने वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को इंकार किया एवं जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2004 द्वारा वादी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी ने प्रथम अपील न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2004 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषगण की अपील पर बहस सुनी ।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल पर उपलब्ध तथ्यों एवं शहादत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। दोनों अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि संवत् 2012 की जमाबंदी में अपीलांट के पूर्व पुरूष इंदल का नाम बतौर विशकमी अंकित है एवं उसने विवादित कृषि भूमि रेस्पो0 के पिता लोका से संवत् 2004 में हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त किया था एवं राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने के समय इंदल बहैसियत शिकमी के बाद

स्वतः काश्तकार अभिलिखित था एवं काबिज था। काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद वह स्वतः ही विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की गई है। तनकी संख्या 2 ''आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता इन्दल ने कर्मचारियों से साजिश कर वाद वर्णित पर अपना नाम बहैसियत उपकृषक दर्ज करवा लिया'' जिम्मे वादी इस तनकी पर वादी द्वारा कोई साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किए जाने से वादी के विरूद्ध तय की गई किन्तु प्रतिवादीगण के लिए एक शब्द भी उक्त तनकी को निर्णित करते समय नहीं अंकित किया, जिससे वादी को किस तरह लाभान्वित किया जा सकता है। दोनो अधी0न्याया0 को इस प्रकरण में मुख्य विवाद का विषय क्या राज0काश्त0अधि0 प्रभावी होते समय कोई व्यक्ति नाबालिग की भूमि पर शिकमी दर्ज हो तो वह खातेदार बन सकता है? इस संबंध में धारा 46 खातेदारी को प्रतिबंधित करती है किन्तु धौलपुर रेवेन्यू कोड में प्रावधान है, को परीक्षण करना था। किन्तु दोनों अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम में वर्णित खसरा नंबर पर प्रतिवादीगण अपीलांट के पूर्व पुरूष इन्दल खातेदार काश्तकार थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिस आज भी बहिस्सा बराबर काबिज काश्त है और इन्दल की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण के वारिसान के नाम आराजी विरासतन नामांतकरण होकर राजस्व रिकार्ड में अमल होते चली आ रही है। वादीगण के पिता लोका उक्त आराजीयात के कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं रहे, यह तथ्य राजस्व रिकार्ड से भली भांति स्पष्ट था। वादी के पिता लोका द्वारा संवत् 2004 में उक्त आराजी हमेशा हमेशा के लिए बराबर लगान शिकमी काश्त पर लिए थे तभी से अपीलांट के पूर्वज एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलांट प्रतिवादी लगान अदा करते आ रहे हैं। संवत् 2012 की जमाबंदी में अपीलांट के पूर्वज इन्दल का नाम उप कृषक की हैसियत से दर्ज चला आ रहा है और काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात् उक्त आराजी के स्वतः धारा 19 के तहत खातेदार दर्ज हो गए। वादी ने अपने वाद में यह अंकित किया कि उसकी नाबालिगी का फायदा उठाकर इन्दल शिकमी के इन्द्राज करवा लिए एवं इन गलत इन्द्राजात के आधार पर खातेदारी प्राप्त कर ली, उक्त कथन को वादी ने कहीं किसी तरह से साबित नहीं किया है, जहां तक कब्जे का प्रश्न है जवाबदावे एवं काउंटर क्लेम के समर्थन में अपने कब्जे के लिए प्रतिवादी/अपीलांट ने संवत् 2022 से 2055 तक खसरा गिरदावरी की प्रमाणित नकलें प्रस्तुत की, जिससे अपीलांट का कब्जा साबित था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प

धौलपुर द्वारा अपील संख्या 103/2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–09–2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, बसेडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–02–2004 को निरस्त किया जावें तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम डिक्री किए जाने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (9) 2002 पेज 422, आरआरडी 1991 पेज 428 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत् है। संवत् 2012 में विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार वादी/रेस्पो0 था। यही इंद्राज संवत 2016 तक रिपीट हुआ है। संवत् 2018 से 2022 में बंदोबस्त आ गया। संवत् 2018 तक रिकार्डेड खातेदार रहा। बंदोबस्त में अपीलांट ने 1/2 भाग पर अपने नाम इंद्राज करा लिए । रेस्पो0 संवत् 2012 में नाबालिग होकर लगभग 9 वर्ष का था । विधिनुसार नाबालिग की भूमि पर धारा 46 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है । बंदोबस्त जमाबंदी संवत् 2017 के अनुसार अपीलांट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा दर्ज है जबकि इससे पूर्व रेस्पो0 का नाम समस्त आराजी पर दर्ज है । अपीलांट के नाम 1/2 हिस्से का इंद्राज किस हैसियत से किया गया यह अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहे है । विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यो के परिपेक्ष्य में प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् होने से अपीलीय न्यायालय ने इसे यथावत् रखा है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6– हमनें योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया ।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने वर्तमान अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी के न्यायालय में विवादित आराजियात बाबत् वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण ने प्रतिदावा पेश किया । विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी ने अपने निर्णय दिनांक 24.02.2004 को वादी का वाद डिक्री किया तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा खारिज किया ।

8– विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांटस द्वारा भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2004 को खारिज की जिसके विरूद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने मण्डल के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है ।

9— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत् 2012 में विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार वादी/रेस्पो0 संख्या 1 था । यही इंद्राज संवत् 2016 तक रिपीट हुए है । इसके पश्चात् संवत् 2018 से 2022 में बंदोबस्त की कार्यवाही हुई जिसमें विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट के नाम 1/2 भाग का इंद्राज है । जब पूर्व में संपूर्ण आराजी वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज थी तो 1/2 हिस्सा किस आधार पर दर्ज हुआ इस बाबत् अपीलांटस ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि संवत् 2012 मूं वादी की उम्र 9 वर्ष होकर नाबालिग था । धारा 46 टेनेन्सी एक्ट के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है । बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादी/अपीलांटस के नाम किये गये इंद्राज बिना किसी आधार के किए गए है, जिन्हें विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया तथा प्रतिवादी/अपीलांटस का प्रतिदावा खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांटस/प्रतिवादी की अपील खारिज कर उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी जिला धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2004 को यथावत् रखा है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते है ।

10— उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, बसेडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2004 को यथावत् रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भंवरसिंह सांदू)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य